

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांक:- स्टेनो/प्रशा./60

दिनांक :-29.09.2021

--: कार्यालय आदेश :-

मैं ऋतु मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 14 व 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक अनुमति के आधार पर राजपत्रित अवकाशों की निम्न तिथियों में, आवश्यक प्रकृति के दायिद्वक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारीगण की ड्यूटी उनके मुख्यालय पर लगाती हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्र0 सं0	दिनांक	बारां +अंता + मांगरोल + किशनगंज + शाहाबाद ब्लॉक	अटरू + छबड़ा + छीपाबड़ोद ब्लॉक
01	02.10.2021, 03.10.2021	श्रीमती ऋतु मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, मो0नं0- 9799054755	श्री राजेश कुमार मीना, अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा- मो0नं0-9414771677
02	07.10.2021, 09.10.2021, 10.10.2021	श्री तापस सोनी, अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, मो0नं0-9413990808	श्री सुरेश कुमार-ii अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ोद- मो0नं0-9461879796
03	13.10.2021, 14.10.2021, 15.10.2021	श्रीमती बीना मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां मो0नं0-8233969059	श्रीमती राजवीर कौर न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू मो0नं0-7737159076
04	17.10.2021, 19.10.2021, 24.10.2021, 31.10.2021	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां,मो0नं0- 8058260894	श्री पंकज कुमार काबरा अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू- मो0नं0-9214982892

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. अवकाश के दिन यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर हैं तो वे अपने परिक्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य कर सकेंगे।

(ऋतु मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)

क्रमांक :- 1164

दिनांक :- 29.9.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. संबंधित अधिकारी श्री.....
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
5. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website -dictricts. ecourts. gov.in/baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति ।

(ऋतु मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)